भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1168

01.08.2024 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में नदी पुनरुद्धार परियोजनाओं की स्थिति और योजनाएं

1168. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश राज्य से चिह्नित की गई नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन घटकों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत चिह्नित की गई नदियों के उक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर कार्य शुरू किया जाएगा; और

(घ) आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्रस्तावित कार्यों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), भारत सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून को वानिकी कार्यकलापों के माध्यम से तेरह प्रमुख भारतीय नदियों नामत: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने का कार्य सौंपा है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित अभिज्ञात नदियां गोदावरी और कृष्णा हैं। इन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के 4 प्रमुख घटक निम्नवत हैं :

i. वानिकी कार्यकलापों का कार्यान्वयन,
ii. ज्ञान प्रबंधन और राष्ट्रीय क्षमता विकास का सुदृढ़ीकरण,
iii. सफल प्रतिमानों के उन्नयन और प्रतिकृति सहित रखरखाव चरण,
iv. वानिकी कार्यकलापों और नदी संरक्षण के लिए राष्ट्रीय समन्वय।

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2016 और 2017 के जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2018 में सीपीसीबी द्वारा 351 प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) को अभिज्ञात किया गया था, जिनमें से आंध्र प्रदेश राज्य में अभिज्ञात किए गए 5 प्रदूषित नदी खंडों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

वर्ष 2018 के दौरान आंध्र प्रदेश में अभिज्ञात किए गए प्रदूषित नदी खंड

क्र.सं.	नदी का नाम	नदी खंड	प्राथमिकता
1.	कुंडु	नंदयाल से मडुरू	IV
2.	तुंगभद्रा	मंत्रालयम से बावापुरम	IV
3.	गोदावरी	रायनपेटा से राजामुंदरी	V
4.	कृष्णा	अमरावती से हंसला देवी	V
5.	नागावली	थोटापल्ली से लगा खंड	V

सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2018 के दौरान अभिज्ञात किए गए 351 प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के लिए, सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात किए गए सभी प्रदूषित नदी खंडों को स्नान प्रयोजनों के लिए उपयुक्त (अर्थात बीओडी < 3 मिग्रा/ली और एफसी < 500 एमपीएन/100 मिली) बनाने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिव, पर्यावरण के समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित नदी पुनरुद्धार समिति (आरआरसी) द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की गई थीं।

तैयार की गई कार्य योजनाओं में स्रोत पर नियंत्रण (नगरीय मलजल प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन), नदी जलग्रहण/बेसिन प्रबंधन (बेहतर सिंचाई पद्धतियों का अंगीकरण, शोधित मलजल का उपयोग, भूजल पुनर्भरण पहलू), बाढ़ के मैदानी क्षेत्र का संरक्षण और उसका प्रबंधन (जैव-विविधता उद्यानों की स्थापना, अतिक्रमण हटाना, वर्षा जल संचयन, नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण), पारिस्थितिकीय/पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) और जलसंभर प्रबंधन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर आरआरसी और केंद्रीय स्तर पर गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

*****